न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : हवाई सिंह यादव
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 177/2018 (GCMS No. 2018/00162)

बलबीर सिंह पुत्र नन्दाराम जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

आवेदक

बनाम

1. महिपाल सिंह पुत्र महादाराम जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. अमित कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. जयलाल पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. रामसिंह पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी धनूरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील पक्षकारान

वकील प्रार्थी – मोहम्मद रशीद खान

वकील अप्रार्थी –

निर्णय

दिनांक 18.01.2023

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम धनूरी पटवार हल्का धनूरी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.06 है0, ख0न0 656 रकबा 1.52 है0, ख0न0 673 रकबा 1.76 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.34 है0 भूमि अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। इसी प्रकार ग्राम धनूरी पटवार हल्का धनूरी की सरहद में भूमि ख0न0 488 रकबा 0.08 है0, ख0न0 653 रकबा 1.50 है0, ख0न0 672 रकबा 1.33 है0, ख0न0 722 रकबा 0.45 है0, ख0न0 723 रकबा 1.00 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.36 है0 भूमि अवस्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। ख0न0 651 रकबा 0.35 है0, ख0न0 652 रकबा 1.22 है0, ख0न0 671 रकबा 1.34 है0, ख0न0 728 रकबा 1.32 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 4.23 है0 अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैतृक खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है जो उन्हे उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से अनुसार उक्त वर्णित भूमि का विभाजन कर लिया परन्तु विभाजन के समय प्रार्थी के हिस्से के हिस्से की भूमि में आने–जाने के लिए रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमि में से दिया गया था जों कि अप्रार्थी संख्या 1 की सींव में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की सींव से होकर गुजरता था। उक्त रास्ता अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के हिस्से की भूमि में से 6–6 फीट कुल 12 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के हिस्से में रास्ता आज भी मौके परमौजूद है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार ने उक्त रास्ते को जगह–जगह से बंद कर दिया है जिससे रास्ते की चौड़ाई इतनी कम हो गई है कि प्रार्थी अपने खेत में ट्रेक्टर व गाड़ी नहीं ले जा सकता। अब प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि में आने–जाने के लिए प्रर्याप्त रास्ता नहीं बचा है। अन्त में प्रार्थी को जमीन जैर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

बहस में आने–जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के हिस्से की भूमि में से रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1 व 4 स्वयं उपस्थित आये। अनावेदकगण संख्या 2 व 3 की ओर से कोई उपसंजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 2 व 3 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 212 दिनांक 11.09.2019 को अवलोकन किया गया। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का से तैयार कर अग्रेषित होने के कारण पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 1807 दिनांक 16.09.2022 से भू0अ0निरीक्षक वृत रामपुरा की मौका रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है। तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.09.2022 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा चाहा गया रास्ता ख0न0 1177/651 व 1169/652 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम है जो लघुतम दुरी का मार्ग है इसके अतिरिक्त दुसरा लघुतम मार्ग नहीं है। आवेदक को उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थीगण रास्ते में जाने वाली जमीन के बदले जमीन देने पर रास्ता देने के लिये सहमत है एवं प्रार्थी भी रास्ते में जाने वाली जमीन के बदले जमीन देने के लिये सहमत है। पक्षकारान के मध्य जमीन के बदले जमीन की देने की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट 4 मीटर चौड़ा रास्ता दिलवाये जाने का निवेदन किया।

तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में ख0न0 1177/651 व 1169/652 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम मार्ग प्रस्तावित किया है ख0न0 1177/651 व 1169/652 की वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन किया गया। उक्त भूमि अमित कुमार पुत्र भागीरथ के नाम दर्ज रिकार्ड है। जो प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 पर बतौर पक्षकार है। अतः उक्त भूमि में से रास्ता दिये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक को अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि में से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार मलसीसर ने ख0न0 1177/651 व 1169/652 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम रास्ता प्रस्तावित किया है जो लघुतम दुरी का मार्ग है साथ ही आवेदक को उक्त रास्ता दिया जाना न्यायोचित बताया है। आवेदक की भूमि में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। इसकी पुष्टि तहसीलदार मलसीसर की जांच रिपोर्ट से होती है। अनावेदक संख्या 3 रास्ते में जाने वाली जमीन के बदले जमीन देने पर रास्ता देने में सहमत है आवेदक भी रास्ते में जाने वाली जमीन के बदले जमीन देने के लिये सहमत है। अतः तमाम तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदक को खेत खसरा नम्बर 655, 656, 673 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 1177/651 व 1169/652 की दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे पूर्व से पश्चिम 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि अनावेदक संख्या 3 को दिये जाने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/01/23

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर